


8404/2019



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



CW 514916



अधिवक्ता पद संख्या 19
नं. 8404
मददा किया गया प्रमाण सं. 54900
नं. 18642/19

!! ओउम श्री सिद्धिदात्री नमः !!

इकरारनामा मुहायदाबै कब्जा रहित
सौदा -27,50,000/-रु.
ब्याना -5,50,000/-रु.
देय स्टाम्प -55000/-रु.
कार्य क्षेत्र उपनिबंधक । मथुरा।

अ निबन्धक
प्रथम पक्ष

A

हम कि मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स जो एक पंजीकृत फर्म है, जो फर्म निबंधक उत्तर प्रदेश आगरा द्वारा पंजीकरण सं. 139 ए जी 12530 दिनांक 27.05. 2014 द्वारा पंजीकृत है, जिसका प्रधान कार्यालय महाराजा कॉम्प्लेक्स, साँख रोड़, निकट मण्डी समिति मथुरा है, द्वारा साझीदार विपिन सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पाली डूंगरा साँख रोड़ तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाऊस 106,107 व 108 आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ तहसील व जिला मथुरा, पैन : ए ए जेड एफ एम 1342 सी - मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स, मो : 08859404056, इच्छुक विक्रेता प्रथम पक्ष व नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व0 रमेशचन्द निवासी ग्राम उटवारा पोस्ट सिगरौठी परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ़, मो-8077007377 व पैन : बी एन एच पी एस 7422 पी, इच्छुक क्रेता द्वितीय पक्ष, पक्षगण इस लेखपत्र इकरारनामा के हैं। प्रथम पक्ष/विक्रेता तथा द्वितीय पक्ष/क्रेता दोनों में उनके प्रतिनिधि कानूनी हकदार तथा वारिसान सम्मिलित हैं। इकरारनामा की सभी शर्तें उन पर भी लागू होंगी।

नेत्रपाल सिंह

Netrapal Singh



NON JUDICIAL



जनरल स्टाम्प की

क्रमांक 53 दिनांक 15/6/18

रामचंद्र प्रसाद अशोक

मि. अशोक द्वारा 10 अक्टूबर 18 अशोक

श. रविन्द्र कुमार स्टाम्प विक्रेता

कमल 11, रजिस्ट्री भाकस, पटना





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514917

11 JUL 2019

{2}

जोकि दो किता भूखण्ड सं. ए-69 व ए-70 जो आपस में मिले हैं, कुल पैमायश पूरब-14.64 मीटर, पश्चिम-14.64 मीटर, उत्तर-15.54 मीटर, दक्षिण-15.54 मीटर कुल क्षेत्रफल 272 वर्गगज बराबर 227.50 वर्गमीटर, जिसकी सीमा इस प्रकार है।

पूरब - रास्ता कॉलोनी 9 मीटर चौड़ा

पश्चिम - भूखण्ड सं. ए-75 व ए-76

उत्तर - भूखण्ड सं. ए-68

दक्षिण - भूखण्ड सं. ए-71

स्थित मौजा गनेशरा तहसील व जिला मथुरा अन्दरून महाराजा पार्क आवासीय कॉलोनी, जो खसरा नं० 978,979,980,977 / 2(भाग) व 976(भाग)

Netrapal Singh

Netrapal Singh





514918

CW 514918

{3}

मौजा गनेशरा तहसील व जिला मथुरा की भूमि पर बनी है। विक्रय भूखण्ड खसरा नं. 979 की भूमि में है, मिल्कियत विक्रेता फर्म है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को विक्रेता फर्म व उसके साझीदारान द्वारा भिन्न-भिन्न बैनामाओं से क्रय कर उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को विक्रेता फर्म में समाहित किया तथा उक्त भूमि बजरिये बैनामा/पार्टनरशिप डीड के द्वारा फर्म में आयी है। वादहू विक्रेता फर्म द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को विक्रेता फर्म द्वारा आवासीय उद्देश्य से विकसित करने हेतु उसमें विभिन्न

Handwritten signature in blue ink



Netrapal Singh



जनरल स्टाम्प की
क्रमांक 55 ता. 15/11/18
नाम श्री
संख्या 53

महेश्वर कुमार
हा. नं० 11, रजिस्ट्रार आफिस, मथुरा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514919



{4}

विकास कार्य कराए और उक्त कॉलोनी का मानचित्र मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा से मानचित्र सं. 294/एम/2016-17 व 2017-18 स्वीकृत कराया और उक्त "महाराजा पार्क, आवासीय कॉलोनी" विकसित की। इस प्रकार उक्त कुल सम्पत्ति एकमात्र मिलिकयत विक्रेता फर्म की है, जिस पर विक्रेता फर्म का ही कब्जा है, जिस पर कोई निर्माण नहीं है तथा विक्रेता फर्म ही उक्त भूखण्ड पर बहसियत मालिक काबिज दखील चली आती है तथा विक्रेता फर्म का ही नाम सरकारी कागजात आदि में दर्ज हैं। सिवाय विक्रेता फर्म के उक्त भूखण्ड का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं

Netrapal Singh



Netrapal Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514920

CW 514920



{5}

है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है तथा विक्रेता फर्म को उक्त भूखण्ड की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त भूखण्ड किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक नहीं है और न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है और न ही विक्रेता फर्म ने उक्त भूखण्ड की बाबत कोई इकरारनामा किसी के साथ तय किया है और ऐसा कोई

नेत्रपाल सिंह



Netrapal Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514921



{6}

व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है, जो उक्त भूखण्ड के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रुकावट डाल सके और मुझ विपिन सिंह को विक्रेता फर्म मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स व उसके अन्य साझीदारान द्वारा उक्त भूखण्ड को विक्रय करने, इकरारनामा करने, इकरारनामा पंजीकृत कराने आदि हेतु पूर्णतः अधिकृत किया हुआ है, यानि मुझको उक्त भूखण्ड सौदा, इकरारनामा, बैनामा रजिस्ट्री व रूपया अदा व प्राप्त करने व कराने आदि के पूरे-पूरे अधिकार प्राप्त हैं। अब वास्ते खर्च खुद विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपने उक्त भूखण्ड को बेचने का सौदा 27,50,000/-रु. (सत्ताईस लाख पचास हजार रुपये) में बहक नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व० रमेशचन्द निवासी ग्राम उटवारा पोस्ट सिमरौठी परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ़, क्रेता द्वितीय पक्ष के साथ नीचे

विपिन सिंह

Netrapal Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514922

{7}

लिखी शर्तों के अनुसार तय कर लिया गया है, जिसके प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष व उनके वारिसान सदैव पाबन्द रहेंगे -

1. यह कि खर्चा बैनामा व स्टाम्प फीस आदि सब क्रेता द्वितीय पक्ष के साथ तय पाया गया है।

2. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से ब्याने में 5,50,000/-रु. (पाँच लाख पचास हजार रूपया) बैंक सं. 035547 दि० 17.06.2019 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्राप्त कर लिए हैं व शेष 22,00,000/-रुपया वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त करेंगे।

3. यह कि प्रथम पक्ष उक्त भूखण्ड का बैनामा आज की तारीख से 06 (छेः) माह के अन्दर समस्त कानूनी पूर्ति करके तथा क्रेता को मौके पर उक्त

Netrapal Singh

Netrapal Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


CW 514923



{8}

भूखण्ड की पैमायश कराकर व उसकी सूचना क्रेता को देकर द्वितीय पक्ष के नाम या द्वितीय पक्ष द्वारा नामित के नाम बैनामा कर देगा। अगर प्रथम पक्ष उक्त म्याद में उक्त भूखण्ड का बैनामा द्वितीय पक्ष खरीदार के हक में या द्वितीय पक्ष द्वारा नामित व्यक्ति के हक में न करें, तो खरीदार द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा, कि वह विक्रेता प्रथम पक्ष से बाजाव्ता बजरिये अदालत उक्त भूखण्ड का बैनामा ब्याने का दिया हुआ रूपया मुजरा करते हुए करा ले। ऐसे हालात में द्वितीय पक्ष के समस्त हर्जे-खर्चे की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी तथा नुकश कानूनी पाये जाने की दशा में ब्याना जब्त नहीं होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्डों को क्रय करने हेतु किसी भी सरकारी/गैर सरकारी बैंक आदि से ऋण ले सकते हैं तथा द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्डों को

Netrapal Singh


Netrapal Singh




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514924



{9}

क्रय करने की अनुमति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (प्रयागराज) से प्राप्त होने के बाद बैनामा करायेंगे।

5. यह कि इकरारनामा का स्टाम्प नियमानुसार बैनामा में मुजरा यानि समायोजित होगा। कब्जा वक्त बैनामा क्रेता को दिया जावेगा, कब्जा इस समय क्रेता को नहीं दिया गया है।

6. यह कि खरीदार द्वितीय पक्ष उक्त म्याद समाप्ती से पूर्व यदि बैनामा कराना चाहे, तो प्रथम पक्ष को लिखित नोटिस द्वारा सूचित कर बैनामा करा सकता है।




Netrapal Singh



आवेदन सं०: 201900764021940

विक्रय अनुबंध विलेख (विना कब्जा)

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 8404

वर्ष: 2019

प्रतिफल- 2750000 स्टाम्प शुल्क- 55000 अग्रिम राशि- 550000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 पोग : 20080

श्री. मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स द्वारा
विपिन सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
शुभ्र श्री महाराज सिंह जी
स्वयंसायन केदार
निवासी, श्रीम. पाली द्वारा सिंह गोवर्धन जिला मधुरा हल नि० महाराजा हाऊस
106, 107 व 108 आनन्दलोक मधुरा



श्री. मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स द्वारा
ला० नं० 11, रजिस्ट्रेशन आ. हल, मधुरा पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक
17/06/2019 एवं 12:04:51 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० के० सिंह
उप निबंधक : सदर प्रथम
मधुरा
17/06/2019
सतीश चौधरी,
निबंधक लिपिक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514925

11 JUN 2019

{10}

अतः यह इकरारनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में पूर्ण स्वस्थचित्त, होशो-हवास में खूब सोच समझकर लिख दिया, कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

Netrapal Singh



Netrapal Singh



आवेदन सं०: 201900764021940

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 8404

वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: ।

जनरल स्टाम्प की 17/-
 श्री मेसर्स महाराजा रीपटर्स के कार्यालयिपिन सिंह, पुत्र
 श्री महाराज सिंह जी
 निवासी: ग्राम पालीदुगरा तह० गोवर्धन जिला मथुरा
 हाल नि० महाराजा हाउस 106, 107 व 108
 आनन्दगोवा मथुरा
 व्यवसाय: ठेकेदार
 अरविन्द कुमार
 सा० सं० 11, रजिस्ट्रेशन सं० 8404



श्री नेत्रपाल सिंह, पुत्र श्री स्व० रमेशचन्द
 निवासी: ग्राम उटवारा पोस्ट सिमरौठी परगना टप्पल
 तह० खैर जिला अलीगढ़
 व्यवसाय: अन्य
 Netrapal Singh



ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान पहचानकर्ता: ।

श्री रविन्द्र, पुत्र श्री रमेशचन्द
 निवासी: ग्राम उटवारा तह० खैर जिला अलीगढ़
 व्यवसाय: अन्य
 Ravindra
 पहचानकर्ता: 2



श्री चित्तेक, पुत्र श्री नितिन
 निवासी: महाविद्या कालोनी मथुरा
 व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० ए० सिंह
 निबंधक: सेंटर प्रथम
 सतीश चौधरी
 निबंधक तिपिक

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे
 नियमानुसार लिए गए है ।
 टिप्पणी :



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 514926

{11}

उक्त प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार उन्हें पढ़ा व सुनाकर व दिखाकर रूबरू गवाहान उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

Netrapal

Netrapal Singh

तहरीर दिनांक : 17.06.2019

टाईप किया : के० के० शर्मा, मथुरा।

ड्राफ्ट किया : नितिन कुमार बंसल कातिब रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा।

साक्षी-

1. रविन्द्र पुत्र स्व० रमेशचन्द्र
नि० ग्राम उटवारा तह० खैर जिला अलीगढ़।

2. विवेक पुत्र श्री नितिन
नि० महाविद्या कॉलोनी मथुरा।

Ravindr



G. Bansal



आवेदन सं०: 201900764021940

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 14971 के पृष्ठ 377 से 398 तक क्रमांक 8404 पर दिनांक 17/06/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

जनरल स्टाम्प की
 क्रमांक 10 का 17-6-19
 नं० 8 का
 संपत्ति 8 का
 अरविन्द कुमार स्टाम्प विक्रेता
 सा०नं० 11, रजिस्ट्री आफिस, मथुरा

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० के० सिंह
 उप निबंधक : सदर प्रथम
 मथुरा
 17/06/2019



18642/2019

Prateek Upadhyay
OFFICER - TRAINEE
SHCIL - MATHURA

Prateek



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh



e-Stamp

Certificate No. : IN-UP07058258646025R
Certificate Issued Date : 23-Dec-2019 01:22 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0108394815485513R
Purchased by : NETRAPAL SINGH
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : MOUZA GANESHRA MAHARAJA PARK MATHURA
Consideration Price (Rs.) :
First Party : MESSERS MAHARAJA REALTORS
Second Party : NETRAPAL SINGH
Stamp Duty Paid By : NETRAPAL SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.) : 87,600
(Eighty Seven Thousand Six Hundred only)

K



.....Please write or type below this line.....

Netrapal Singh



Netrapal Singh



SR 0003840755

Statutory Alert

1. The authenticity of this e-stamp certificate should be verified at www.e-stamp.com. Any discrepancy in the details of this Certificate must be reported on the website www.e-stamp.com.
2. The issue of obtaining this e-stamp is on the users of the products.
3. In case of any discrepancy users inform the Competent Authority.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

Rs. 5000

पाँच हजार रु

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 005665

{2}

!! ओउम सिद्धिदात्री नमः !!

लेखपत्र/विक्रयपत्र भूखण्ड का संक्षिप्त विवरण-

1. सम्पत्ति का प्रकार : आवासीय भूखण्ड
2. सम्पत्ति स्थित : मौजा गनेशरा तहसील व जिला मथुरा अन्दरून महाराजा पार्क आवासीय कॉलोनी
3. सम्पत्ति का विवरण : दो किता भूखण्ड सं. ए-69 व ए-70 जो आपस में मिले हैं।
4. मापन की इकाई : वर्ग मीटर
5. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 227.50 वर्ग मीटर
6. सड़क की स्थिति : 6 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है।
7. प्रतिफल धनराशि : 27,50,000 /- रु
8. सरकारी मालियत : 18,20,000 /- रु
9. कुल देय स्टाम्प : 1,92,500 /- रु. जिसमें से वक्त इकरारनामा देय स्टाम्प-55000 /- रु मुजरा स्टाम्प-54900 /- रु वक्त वैनामा देय स्टाम्प-1,37,600 /- रु जिसमें जनरल स्टाम्प-50000 /- रु व 87600 /- रु का ई-स्टाम्प दिनांक 23.12.2019 जो प्रलेख के साथ संलग्न है।
10. सरकारी दर भूमि 8000 /- रु प्रति वर्ग मीटर, जो रेट लिस्ट के पेज नं. 19 क्रमांक 46 बी कोड 1006 पर दर्ज है।
11. कार्य क्षेत्र उपनिबंधक प्रथम मथुरा।
उक्त कॉलोनी विकासशुल्क क्षेत्र के अन्दर व नगर निगम मथुरा-वृन्दावन की सीमा क्षेत्र के अन्दर है और मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा द्वारा स्वीकृत कॉलोनी है।

Netrapal Singh

Netrapal Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 005666



{3}

विक्रेता का विवरण :-(1)

मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स जो एक पंजीकृत फर्म है, जो फर्म निबंधक उत्तर प्रदेश आगरा द्वारा पंजीकरण सं. 139 ए जी 12530 दिनांक 27.05.2014 द्वारा पंजीकृत है, जिसका प्रधान कार्यालय महाराजा कॉम्प्लैक्स, साँख रोड़, निकट मण्डी समिति मथुरा है, द्वारा साझीदार विपिन सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पाली डूंगरा साँख रोड़ तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाऊस 106,107 व 108 आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ तहसील व जिला मथुरा।

पैन : ए ए जेड एफ एम 1342 सी - मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स

मो : 08859404056

क्रेता का विवरण :-(1)

नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व० रमेशचन्द निवासी ग्राम उटवारा पोस्ट सिमरौठी परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ़।

मो-8077007377

पैन : बी एन एच पी एस 7422 पी

Netrapal Singh

Netrapal Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 005667 DC 005667




{4}

जोकि दो किता भूखण्ड सं. ए-69 व ए-70 जो आपस में मिले हैं, कुल पैमायश पूरब-14.64 मीटर, पश्चिम-14.64 मीटर, उत्तर-15.54 मीटर, दक्षिण-15.54 मीटर कुल क्षेत्रफल 272 वर्गगज बराबर 227.50 वर्गमीटर, जिसकी सीमा इस प्रकार है-
पूरब - रास्ता कॉलोनी 9 मीटर चौड़ा
पश्चिम - भूखण्ड सं. ए-75 व ए-76
उत्तर - भूखण्ड सं. ए-68
दक्षिण - भूखण्ड सं. ए-71

स्थित मौजा गनेशरा तहसील व जिला मथुरा अन्दरून महाराजा पार्क आवासीय कॉलोनी, जो खसरा नं० 978,979,980,977/2(भाग) व 976(भाग) मौजा गनेशरा तहसील व जिला मथुरा की भूमि पर बनी है। विक्रय भूखण्ड खसरा नं. 979 की भूमि में है तथा विक्रय भूखण्ड को विक्रयपत्र के साथ संलग्न नक्शे में रंग लाल से दर्शाया गया है, मिल्कियत विक्रेता फर्म है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को विक्रेता फर्म व उसके साझीदारान द्वारा भिन्न-भिन्न बैनामाओं से क्रय कर उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को विक्रेता फर्म में समाहित किया तथा उक्त भूमि बजारिये बैनामा/पार्टनरशिप डीड के द्वारा फर्म में आयी है। वादहू विक्रेता फर्म द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को विक्रेता फर्म द्वारा आवासीय उद्देश्य से विकसित करने हेतु उसमें विभिन्न विकास कार्य कराए और उक्त कॉलोनी का मानचित्र मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा से मानचित्र सं. 294/एम/2016-17 व 2017-18 स्वीकृत कराया और उक्त "महाराजा पार्क, आवासीय कॉलोनी" विकसित की। इस प्रकार उक्त कुल सम्पत्ति एकमात्र मिल्कियत विक्रेता फर्म की है, जिस पर विक्रेता फर्म का ही कब्जा है, जिस पर उक्त विक्रेता फर्म का वास्तविक व




Netrapal Singh


भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 005668

13 DEC 2019

13 DEC 2019

{5}

मालिकाना आधिपत्य है और जिसकी बाबत विक्रेता फर्म को हर प्रकार के अधिकारात मालिकाना व काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं और जो हर तरह के वाद-विवादों, झगड़े झंझटों, कर्जों व जमानतों व हर प्रकार की देनदारियों से मुक्त है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है और न ही उक्त भूखण्ड किसी सरकारी/गैर सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक है और न ही विक्रेता फर्म ने उक्त भूखण्ड को बेचने का कोई इकरारनामा सिवाय खरीदार के किसी अन्य के साथ तय कर रखा है और न कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु या कारण है, जो विक्रेता फर्म के इस भूखण्ड के बेचे जाने में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा पैदा कर सके। उक्त भूखण्ड खाली है, उस पर कोई निर्माण नहीं है। इस भूखण्ड से कोई आय या लाभ विक्रेता फर्म को नहीं है और न विक्रेता फर्म के उपयोग में आ रहा है और न ही निकट भविष्य में उसे उपयोग में लाने का कोई विचार है। भूखण्ड की देखरेख व सुरक्षा में खर्चा करना पड़ता है, जिस कारण उसे बेचा जाना विक्रेता फर्म के हित में है, खरीदार अच्छी कीमत पर लेने को तैयार है तथा बेच देने में विक्रेता फर्म का सरासर लाभ है। खरीदार द्वारा मौके पर विक्रय भूखण्ड को व उसकी मिल्कियत सम्बन्धी समस्त कागजातों को मली प्रकार देख व समझ लिया है, जिससे वह पूर्णतः संतुष्ट है और मुझ विपिन सिंह को विक्रेता फर्म मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स व उसके अन्य साझीदारान द्वारा उक्त भूखण्ड को विक्रय करने, बैनामा पंजीकृत कराने आदि हेतु पूर्णतः अधिकृत किया हुआ है, यानि मुझको उक्त भूखण्ड सौदा, इकरारनामा, बैनामा रजिस्ट्री व रूपया अदा व प्राप्त करने व कराने आदि के पूरे-पूरे अधिकार प्राप्त हैं। अतः उक्त भूखण्ड

Netrapal Singh

Netrapal Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 005669

DC 005669



{6}

को समस्त हक इकूक व अधिकारों सहित जो विक्रेता फर्म को प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो, कुल को बिना छोड़े मय राईट्स व इन्ट्रेस्ट व गुडटाईटिल के वखुशी वराजी वएवज कुल मु0 27,50,000/-रु. (सत्ताईस लाख पचास हजार रुपये) में बदस्त नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व0 रमेशचन्द निवासी ग्राम उटवारा पोस्ट सिमरौठी परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ़, खरीदार द्वितीय पक्ष को बैकतई कर दिया और बेच दिया और मूल्य का कुल रुपया विक्रेता ने खरीदार से निम्न भाँति प्राप्त कर लिया है और कीमत का कुल रुपया प्राप्त होना अंगीकार कर वास्तविक मालकाना कब्जा व दखल बेचे गए भूखण्ड पर खरीदार का करा दिया है और विक्रेता फर्म ने अपना कब्जा विक्रय भूखण्ड से हटा लिया है। आज से खरीददार विक्रय भूखण्ड का एकमात्र मालिक व स्वामी हो गया, जिसकी बाबत वह कुल अधिकारात मालकाना व काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के प्रयोग में लावे और एकमात्र स्वामी के रूप में खरीदार भूखण्ड को खरीददार बहैसियत स्वामी अपने रिहायशी उपयोग में लावे, उससे लाभान्वित हो, उस पर निर्माण करे, उसे हस्तान्तरित करे, यानि भूखण्ड का खरीददार निम्न प्रतिबन्धों की पाबन्दी के साथ खुद जो चाहें सो करे, अब विक्रेता फर्म व उसके साझीदारान व स्थानापन्नों को बेचे गए भूखण्ड से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न ही आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। यदि बेचे गए भूखण्ड की बाबत कभी कोई विवाद किसी प्रकार का उत्पन्न हो, अथवा बेचे गए भूखण्ड का थोडा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीददार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई वार बरामद हो, तो उसकी

Netrapal Singh

Netrapal Singh





₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 712860



{7}

समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदाकर्दा रुपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा सब विक्रेता फर्म के जिम्मे है। खरीदार विक्रेता फर्म के द्वारा किए गए विकास कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट है। उक्त भूखण्ड की कीमत में आन्तरिक विकासशुल्क शामिल है। भूखण्ड धारक द्वारा निर्माण कार्य शुरु कराते समय बैनामा के अनुसार पैमायश की पुष्टी करानी होगी। निर्माण पास मानचित्र अनुसार ही खरीददार को खरीदे हुए भूखण्ड के अन्दर ही करना होगा। भूखण्ड धारक उक्त भूखण्ड का डिमार्केशन अधिकृत अधिकारी/फर्म द्वारा कराकर, नींव खोदकर, बाउण्ड्री की पिलन्थ भरकर तथा नींव भरते समय डांडे छोडकर पुनः चैक कराकर निर्माण कार्य करायेगा। पैमायश में त्रुटि होने पर भूखण्ड धारक को खुद ठीक करानी होगी। यदि भूखण्ड धारक ठीक नहीं कराता है, तो उसे तुडवाकर हर्जा-खर्चा भूखण्ड धारक से वसूल करने का विक्रेता फर्म को अधिकार होगा। भूखण्ड धारक को विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग से नियमानुसार लेना होगा। कोई जम्पर आदि नहीं डालेगा। घर के गेट से सडक की पटरी पर सीधे रैम्प, छज्जा नहीं बनायेगा व पाईप लाईन का कनेक्शन अपनी साइड की सबसे नजदीकी लाइन से अधिकृत अधिकारी/संस्था से लेना होगा। शौचालय लाइन का कनेक्शन कॉलोनी में उपलब्ध नजदीकी सीबर लाईन से भूखण्ड धारक को अपने खर्चे पर कराना होगा। कॉलोनी में भविष्य में कराये जाने वाले विकास अथवा विकास के रख रखाव के दौरान जैसे चाहे रैम्प तुडवाकर कार्य कराने का अधिकृत अधिकारी/फर्म को अधिकार होगा। भूखण्ड धारक को अपने मकान का सैट बैंक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनिवार्य रूप से छोडना होगा

Netrapal Singh

Netrapal Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 712861

{8}

व भूखण्ड धारक के प्लॉट के दो तरफ रास्ता होने पर जो कि गेट के लिए निर्धारित (दिशा) रोड है उसकी तरफ एक ही दिशा में गेट निकाल सकेगा व दूसरी तरफ खिड़की निकाल सकेगा, छज्जा, रैम्प, कूलर व एं.सी. आदि नहीं लगा सकेगा व किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। भूखण्ड धारक द्वारा निर्माण के समय पिलन्थ की ऊँचाई व रैम्प की लम्बाई नियमानुसार ही रखनी होगी एवं ग्राउण्ड फ्लोर का लेबिल सामने की सड़क से 12 इंच ऊँचा व अन्दर का इससे 6 इंच ऊँचा यानि कुल मिलाकर 18 इंच से अधिक ऊँचा नहीं हो सकेगा। पेड़-पौधे, गमले, सड़क, पार्क आदि जन सुविधाओं का किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करने या उसके द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित व्यक्ति की होगी। कॉलोनी सिर्फ शान्तीपूर्वक रहकर साफ सुथरा रखते हुए शिक्षित व सभ्य समाज के लिए रिहायशी इस्तेमाल हेतु बनायी गयी है। खरीदार पाथवे की साइड दरवाजा नहीं निकाल सकते, केवल खिड़की, पिंजर लगा सकते हैं और न ही पाथवे को क्षतिग्रस्त करेगा। कॉलोनी विकास रख रखाव आदि सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित सभी नियम व शर्तें खरीददार द्वारा मान्य होंगी। खरीददार उक्त या अन्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे उद्देश्य धूमिल हो या अन्य निवासियों को कष्ट हो। यदि कोई ऐसा करेगा, तो विक्रेता फर्म या निर्धारित रख रखाव समिति या संस्था अन्य कॉलोनी निवासियों को पब्लिक न्यूसंस के आधार पर बिना कानूनी कार्यवाही रोकने व हटाने का अधिकार होगा। कॉलोनी रिहायशी इस्तेमाल हेतु बनायी गयी है। किसी भी भूखण्ड की साइड में पार्क होने की दशा में भूखण्ड धारक पार्क की तरफ गेट नहीं कर सकेगा

Netrapal Singh
[Fingerprint]

Netrapal Singh
[Fingerprint]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 712862



(9)

केवल खिड़की निकाल सकेगा, व छज्जा, रैम, कूलर व ए.सी. आदि नहीं लगा सकेगा व किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। किसी भी भूखण्ड धारक द्वारा भूखण्ड का उपयोग रिहायशी मकान के अलावा बदलकर कॉमर्शियल, दुकान, रास्ता आदि का निर्माण व उपयोग करना व कॉलौनी की चार दीवारी आदि तोड़ना व चार दीवारी के उद्देश्य पूर्ति में बाधा उत्पन्न करना व क्षति पहुँचाना अवैध व वर्जित होगा। उक्त भूखण्ड में कोई पालतू जानवर गाय-भैंस, बकरी आदि नहीं रख व पाल सकेगा और ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रक, बस, टैम्पो आदि कॉमर्शियल व बड़े वाहन कॉलौनी के अन्दर अनिवार्य रूप से नहीं रख सकेगा। कॉलौनी के गेट बाउण्ड्रीवाल, पेड़, पार्क, स्ट्रीट लाइट, पानी सप्लाई, पानी की टंकी, सीवर लाइन, सीवर टैंक, ड्रेन, इलेक्ट्रिकसिटी, रिविमिंग पूल, क्लब हाऊस, जिम, मार्केट व मन्दिर आदि हर प्रकार की सार्वजनिक सुविधाएं जो अब हैं व भविष्य में विकसित होंगी उनको उपयोग में लेने के लिए विक्रेता/विकासकर्ता फर्म/फर्म के साझीदारों द्वारा भविष्य में एक्सटेंशन/कॉलौनी विस्तार/एरिया वृद्धि करने के लिए, प्राधिकरण से नक्शा पास कराने के लिए या कोई कनेक्शन लेने के लिए व हर प्रकार से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होंगे। जिसमें मुझ क्रेता को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें मेरी तरफ से पूर्ण सहमति है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेशों के अनुसार यदि कॉलौनी के अन्दर आन्तरिक विकास कार्यों के रूप में रेन वाटर हारवेस्टिंग यूनिट या सीवेज एवं लन्साव ट्रीटमेंट यूनिट का अतिरिक्त निर्माण किया जाता है, तो भूखण्ड खरीदार द्वारा यूनिट के निर्माण पर आने वाले खर्च का भुगतान विक्रेता फर्म की डिमाण्ड पर 30

Netrapal Singh

Netrapal Singh



आवेदन सं०: 201900764047123

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 18642

वर्ष: 2019

प्रतिफल- 2750000 स्टाम्प शुल्क- 137600 बीजारी भूज- 2750000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग: 20080

जनरल स्टाम्प
3 स्टाम्प सं० 231219

श्री मैसर्स महाराजा रीपल्टर्स द्वारा
विपिन सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
पुत्र श्री महाराज सिंह जी
व्यवसाय: अनाई
निवासी: सतीश चौधरी हाल वि० महाराजा हाऊस 106, 107 ब108
आनंदनगर मथुरा
12/23/2019-13 रजिस्ट्री जिला मथुरा



श्री. मैसर्स महाराजा रीपल्टर्स द्वारा

विपिन सिंह अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक
23/12/2019 एवं 02:00:31 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० के० सिंह
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा
23/12/2019
सतीश चौधरी,
निबंधक लिपिक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



{10}

दिनों के भीतर अदा करना होगा। विक्रेता फर्म द्वारा कॉलौनी की सुविधाओं / अधिस्थापनाओं हेतु प्रबन्ध व्यवस्था नगर निगम या अन्य समकक्ष निकायों द्वारा भविष्य में की जायेगी। लेकिन जब तक व्यवस्थाएँ अधीनस्थ निकाय द्वारा अपने हाथ में नहीं ली जाती हैं तब तक इस कार्य को सम्पादित करने के लिये विक्रेता फर्म द्वारा एक अधिस्थापना कोष की रचना की गयी है जिसकी खरीदार से निर्धारित अधिस्थापना जमा राशि ली जा रही है यह राशि अधिस्थापना कोष का भाग रहेगी। इस कोष से व इसकी ब्याज से या अन्य तरीके से इनवैस्टमेंट से प्राप्त धनराशि से कॉलौनी में जनसुविधाओं की प्रबन्ध व्यवस्था की जायेगी लेकिन इन सुविधाओं के सम्बन्ध में नियमित व्यय रैकरिंग एक्सपेंसिस खरीदार द्वारा जितना शुल्क कम पड़ेगा उतना शुल्क मसिक जनसुविधों शुल्क के रूप में अदा किया जायेगा। विक्रेता फर्म को नियमानुसार व्यय विलम्ब शुल्क के साथ कानूनी कार्यवाही कर वेसूलने का अधिकार होगा। क्लब चार्ज सोसाइटी मैन्टीनेंस चार्ज है। उक्त भूखण्ड विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर व नगर निगम मथुरा-वृन्दावन की सीमा व आवासीय क्षेत्र के अन्दर स्थित है। भविष्य में विक्रय भूखण्ड पर लगने वाले समस्त बाह्य/आन्तरिक विकासशुल्क, टैक्स आदि को अदा करने की जिम्मेदारी खरीदार की होगी। खर्चा बैनामा, स्टाम्प फीस आदि विक्रेता ने वहन किया है। भूखण्ड क्रय कर आए किसी व्यक्ति या फर्म को भूखण्ड की पुनः विक्री के समय मूल नियमों के अनुसार समस्त नियम व शर्तों के अनुपालन की सुनिश्चितता लिखित रूप में करनी होगी। निर्माण के दौरान निर्धारित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। अतः यह विक्रयपत्र

Netrapal Singh



Netrapal Singh



आवेदन सं०: 201900764047123

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 18642

वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

जनरल स्टाम्प
23/2/19
श्री मैसर्स महाराजा रीप्लर्स के द्वारा विपिन सिंह, पुत्र
श्री महाशय सिंह
निवासी: ग्राम मथुरा रोड मथुरा हाऊस नं० महाराजा
हाऊस 106, 107 व 108 आनन्दलोक मथुरा
व्यवसाय: अन्य
पहचानकर्ता: 1
दिनेश कुमार सिंह
2 वर्ष 2012-13 रजिस्ट्रेशन

श्री मैसर्स महाराजा रीप्लर्स के द्वारा विपिन सिंह, पुत्र
श्री महाशय सिंह
निवासी: ग्राम मथुरा रोड मथुरा हाऊस नं० महाराजा
हाऊस 106, 107 व 108 आनन्दलोक मथुरा
व्यवसाय: अन्य
पहचानकर्ता: 1



श्री नेत्रपाल सिंह, पुत्र श्री रमेशचन्द

निवासी: ग्राम उटवारा पोस्ट सिमरौठी परगना टप्पल
तह० खैर जिला अलीगढ़
व्यवसाय: अन्य
पहचानकर्ता: 1



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री चिराग चौधरी, पुत्र श्री अशोक कुमार

निवासी: मथुरा रोड निकट राजरानी मेहरा गैस्ट
हाऊस त्रिपुरारी नगर हापरस
व्यवसाय: अन्य
पहचानकर्ता: 2



श्रीमती सरिता सिंह, पत्नी श्री नेत्रपाल सिंह

निवासी: बी-9 जजेज कम्पाउण्ड निकट के.के
हॉस्पिटल रिवर बैंक कालोनी लखनऊ
व्यवसाय: गृहिणी



Sarita Singh

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे
नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

एस०के० सिंह
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा
सतीश चौधरी,
निबंधक लिपिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 712864

DB 712864



{11}

विक्रेता ने वखुशी वराजी खूब सोच समझकर बिना किसी दबाव के खरीदार के हक में लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। उक्त भूखण्ड को बेचने का सीदा विक्रेता ने क्रेता के साथ इकरारनामा दिनांक 17.06.2019ई० जिसका निबंधन कार्यालय उ०नि० मथुरा पर बही सं. 1/जिल्द सं. 14971 के सफा 377-398 क्रमांक 8404 पर दिनांक 17.06.2019ई० को हुआ है, तय किया, जिसके अनुपालन में उक्त भूखण्ड का बैनामा विक्रेता, क्रेता के हक में कर रहे हैं।

विवरण मूल्य का कुल रुपया प्राप्ती का-

मूल्य का कुल 27,50,000/-रु विक्रेता ने क्रेता से इस प्रकार प्राप्त किया कि-

5,50,000/-रु. चैक सं. 035547 दि० 17.06.2019 भारतीय स्टेट बैंक

22,00,000/-रु. चैक सं. 301206 दि० 23.12.2019 भारतीय स्टेट बैंक

यह विक्रय विलेख क्रेता-विक्रेता व गवाहान के समक्ष उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

(Handwritten signature)

Netrapal Singh

दिनांक : 23.12.2019

टाईप किया : के० के० शर्मा मथुरा।

ड्राफ्ट किया : नितिन कुमार बंसल दस्तावेज लेखक रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा।

साक्षी-

1. चिदंबर चौधरी पुत्र श्री अशोक कुमार
नि० मथुरा रोड, निकट राजरानी मेहरा गैस्ट हाउस
त्रिपुरा नगर हाथरस।

(Handwritten signature)



2. श्रीमती सरिता सिंह पत्नी श्री नेत्रपाल सिंह
नि० बी-9, जजेज कम्पाउण्ड, निकट के के हॉस्पिटल
रिवर बैंक कॉलोनी, लखनऊ।

(Handwritten signature)



आवेदन सं०: 201900764047123

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15467 के पृष्ठ 33 से 56 तक क्रमांक 18642 पर दिनांक 23/12/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

5 जनरल स्टाम्प 23-12-19
 पुरानप रु०.....
 पुत्र पत्नी.....
 स० सं०.....

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


एस० के० सिंह
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा
23/12/2019

डिग्रेड कुमारे सिंह
दिनांक 2012-13



नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जाने द्वारा 37-511
 महाराजा पार्क आवासीय कार्यालयी पुरवठ
 न-प. 69 व प-70 जो उपलब्ध मिले है।

227.50 वर्ग मीटर
 वि. नं. 11. नै. नं. महाराजा शि. प. ल. र्क



पु. नं. 11

Netrapal Simsh

18903/2019

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

IAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 967362

!! ओम् नमो श्री सिद्धिदात्री नमः !!

तितम्मा प्रलेख (शुद्धिपत्र)

देय स्टाम्प - 100/रु.

कार्य क्षेत्र उपनिबधक । मथुरा।

हम कि मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स जो एक पंजीकृत फर्म है, जो फर्म निबधक उत्तर प्रदेश आगरा द्वारा पंजीकरण सं. 139 ए जी 12530 दिनांक 27.05.2014 द्वारा पंजीकृत है, जिसका प्रधान कार्यालय महाराजा कॉम्प्लैक्स, सौख रोड, निकट मण्डी समिति मथुरा है, द्वारा साझीदार विपिन सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पाली डूंगरा सौख रोड तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाऊस 106,107 व 108 आनन्दलोक, गोवर्धन रोड तहसील व जिला मथुरा पैन : ए ए जेड एफ एम 1342 सी - मैसर्स महाराजा रीयल्टर्स, मो : 08859404056 व नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व0 रमेशचन्द निवासी ग्राम उटवारा पोस्ट सिमरौठी परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ़, मो-8077007377 व पैन : बी एन एच पी एस 7422 पी द्वितीय पक्ष, पक्षगण इस तितम्मा प्रलेख (शुद्धिपत्र) के हैं।

प्र/नमि



Netrapal Singh



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

{ 2 }

38AA 967361

जोकि प्रथम पक्ष ने दो किता भूखण्ड सं. ए-69 व ए-70 जो आपस में मिले हैं, कुल पैमायश पूरब-14.64 मीटर, पश्चिम-14.64 मीटर, उत्तर-15.54 मीटर, दक्षिण-15.54 मीटर कुल क्षेत्रफल 272 वर्गगज बराबर 227.50 वर्गमीटर, जिसकी सीमा इस प्रकार है।

पूरब - रास्ता कॉलोनी 9 मीटर चौड़ा

पश्चिम - भूखण्ड सं. ए-75 व ए-76

उत्तर - भूखण्ड सं. ए-68

दक्षिण - भूखण्ड सं. ए-71

स्थित मौजा गनेशरा तहसील व जिला मथुरा अन्दरून महाराजा पार्क आवासीय कॉलोनी, जो खसरा नं० 978,979,980,977 / 2(भाग) व 976(भाग) मौजा गनेशरा तहसील व जिला मथुरा की भूमि पर बनी है और विक्रय भूखण्ड खसरा नं. 979 की भूमि में है, को द्वितीय पक्ष के हक में विक्रय कर तहरीर तकमील व रजिस्ट्री दिनांक 23.12.2019ई० को किया, जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबंधक मथुरा पर बही नंबर 1 जिल्द संख्या 15467 के

Netrapal Singh

Netrapal Singh



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

{ 3 }

38AA 967363

सफा 33-56 प्रलेख सं. 18642 दिनांक 23.12.2019ई0 को हुई है। उक्त विक्रयपत्र में पृष्ठ सं. 10 में वर्णित विवरण मूल्य धनराशि में 22,00,000 /-रु. चैक सं. 301206 दि0 23.12.2019 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विक्रेता को देना दर्शाया है, जबकि उक्त चैक की लिमिट 10 लाख रुपये ही है, जो त्रुटि पक्षगण से भूलवश हुई है, जिस कारण उक्त त्रुटि को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। अतः इस तितम्मा प्रलेख द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि





Netrapal Singh



आवेदन सं०: 201900764047617

शुद्धिपत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 18903

वर्ष: 2019

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क - 100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 योग: 140

श्री मेहरास महाराजा रीयल्टर्स द्वारा
 विपिन सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
 पुत्र श्री महाराज सिंह जी
 व्यवसाय: अन्य
 निवासी पाली दुन्दुबी मधुस हाब मि० महाराजा हाउस-106, 107 व 108
 आनन्दपूर मधुस



स/स/0 विपिन सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
 श्री. मेहरास महाराजा रीयल्टर्स द्वारा
 ने यह शुद्धिपत्रक वास्तविकता के अनुसार सिक्रेटरी
 28/12/2019 एवं पं. रजिस्ट्रार ऑफिस, मधुस
 निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० के० सिंह
 उप निबंधक :सदर प्रथम
 मधुस
 28/12/2019
 सतीश चौधरी,
 निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

{ 4 }

38AA 967364

विक्रयपत्र के पृष्ठ सं. 11 में वर्णित 22,00,000/-रु बैंक सं. 301206 दि० 23.12.2019 भारतीय स्टेट बैंक के स्थान पर उक्त राशि निम्न प्रकार प्राप्त होना माना जावेगा व समझा जावेगा—

7,00,000/-रु बैंक सं. 301207 दि० 23.12.2019 भारतीय स्टेट बैंक

7,00,000/-रु बैंक सं. 301208 दि० 23.12.2019 भारतीय स्टेट बैंक

8,00,000/-रु बैंक सं. 301209 दि० 23.12.2019 भारतीय स्टेट बैंक

अन्य कोई परिवर्तन विक्रयपत्र में नहीं किया गया है। इस तितम्बा प्रलेख से विक्रय प्लॉट के पक्षकारगण, मालियत, स्टाम्प, आदि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह तितम्बा प्रलेख विक्रयपत्र दिनांक 23.12.2019ई० प्रलेख सं. 18642 का भाग रहेगा व माना जावेगा। अतः यह तितम्बा/शुद्धिपत्र प्रलेख पूर्ण स्वस्थचित्त, होशो-हवास में खूब सोच समझकर लिख दिया, कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

Netrapal Singh



आवेदन सं०: 201900764047617

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 18903

वर्ष: 2019



निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त प्रथम पक्ष: 1

श्री मैसर्स महाराज रीयल्टर्स के द्वारा विपिन सिंह, पुत्र श्री महाराज सिंह जी

निवासी: ग्राम पालीडूंगरी मधुरा हाल नि० महाराजा

जान रलु स्ट्रीट, मधुरा, अनामोलोक मधुरा

व्यवसाय: अन्य 2012-18

नाम: विपिन सिंह

संज्ञा: श्री नेत्रपाल सिंह, पुत्र श्री रमेशचन्द

निवासी: ग्राम उटवास गौरद सिमरीठी परगनाप टप्पल

ला०नं० 11, रजिस्ट्री आफिस, मधुरा

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री विराम चौधरी, पुत्र श्री अशोक कुमार

निवासी: मधुरा रोड निकट राजरानी मेहरा गैस्ट हाऊस त्रिपुरारी नगर हापरस

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्रीमती सरिता सिंह, पत्नी श्री नेत्रपाल सिंह

निवासी: बी-9 जजेज कम्पाउण्ड निकट के के हॉस्पिटल रिवर बैंक कालोनी हापरस

व्यवसाय: गृहिणी



Sarita Singh

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने जी। प्रत्यक्षत भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे निगमानुसार लिए गए है। टिप्पणी:

एस०के० सिंह
उप निबंधक, सदर प्रथम मजिस्ट्रेट
सतीश चौधरी,
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

{5}

38AA 967365

यह प्रलेख पक्षगण के निर्देशानुसार उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर, दिखाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

Chirag

Netrapal Singh



तहरीर दिनांक : 28.12.2019

टाईप किया : के0 के0 शर्मा, मथुरा।

ड्राफ्ट किया : नितिन कुमार बंसल कातिब रजिस्ट्री ऑफिस, मथुरा।

साक्षी-

1. चिराग चौधरी पुत्र श्री अशोक कुमार
नि0 मथुरा रोड, निकट राजरानी मेहशा गैस्ट हाउस
त्रिपुरारी नगर हाथरस।



2. श्रीमती सरिता सिंह पत्नी श्री नेत्रपाल सिंह
नि0 बी-9, जजेज कम्पाउण्ड, निकट के के हॉस्पिटल
रिवर बैंक कॉलोनी, लखनऊ।



Chirag

Sarita Singh

आवेदन सं०: 201900764047617

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15481 के पृष्ठ 13 से 22 तक क्रमांक 18903 पर दिनांक 28/12/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० क० सिंह
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा
28/12/2019

जनरल स्टाम्प की०

क्रमांक 5 ता० 28-12-19

नाम _____ पुत्र/पत्नी के _____

संज्ञा _____ नि० _____

Arvind Kumar
अरविन्द कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला० नं० 11, रजिस्ट्री आफिस, मथुरा